भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

आर0ई0आर0 वाद सं0–01/2015–16

शिवलाल किस्कू– प्रथम पक्ष

बनाम्

सिकर किस्कू– द्वितीय पक्ष

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति

6.6.17

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया है। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट का प्रतिवेदन प्राप्त है।

प्रथम पक्ष शिवलाल किस्कू, पिता–स्व0 धेवा किस्कू, ग्राम–सकरीफुलवार, अंचल–पोड़ैयाहाट द्वारा आवेदन दिया गया है कि सिकर किस्कू, पिता–स्व0 ताँती किस्कू, ग्राम–सकरी फुलवार एवं राजेश किस्कू, पिता–सिकर किस्कू द्वारा ग्राम–सकरी फुलवार, जमाबंदी नं0–117, खेसरा नं0–3102, रकवा–00–02–00 (दो) कट्ठा भूमि अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। उक्त भूमि को वापस करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक– 601/रा0, दिनांक–04/10/2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा– सकरी फुलवार, खेसरा सं0–3102, रकवा–00–16–00 (सोलह) कट्ठा जमीन जो खतियान में जमाबंदी रैयत सकला किस्कू के नाम से दर्ज है। आवेदन शिवलाल किस्कू खतियानी रैयत के वंशज है, जो C.I.S.F में नौकर करने बाहर गये थे। द्वितीय पक्ष सिकर किस्कू का खतियानी रैयत से संबंध नहीं है एवं ये अवैध रूप से मकान बना लिए है। द्वितीय पक्ष महेन्द्र किस्कू से कुर्फा में प्राप्त किया हुआ बतलाते है जबकि महेन्द्र किस्कू खतियानी रैयत के वंशज नहीं है।

द्वितीय पक्ष द्वारा अपना पक्ष रखा गया है। इनके द्वारा बतलाया गया कि मौजा–सकरी फुलवार, थाना नं0–457, जमाबंदी नं0–117, दाग नं0–3102, रकवा–00–02–02 (दो) कट्ठा जमीन संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 लागू होने के पूर्व दिनांक–15/04/1936 को जमीन के रैयत द्वारा सुकल किस्कू के नाम से कुर्फा बन्दोवस्ती किया गया था। उक्त भूमि पर मकान बनाकर सपरिवार रहने लगे। द्वितीय पक्ष कुर्फा बन्दोवस्तीदार सुफल किस्कू के वंशज है। अधिनियम लागू होने के पूर्व से उनका दखल कब्जा है। ऐसी परिस्थिति में खतियानी रैयत का दावा नहीं बनता है।

उपरोक्त परिस्थिति में भूमि को अवैध रूप से अंतरित एवं दखल कब्जा किया जाना माना जाएगा। भूमि का हस्तान्तरण संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 20 के अनुरूप नहीं है।

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि अवैध रूप से द्वितीय पक्ष द्वारा अन्तरित एवं दखल कब्जा किये गये भूमि के उच्छेद का आदेश दिया जाता है। अंचलाधिकारी, पोड़ैयाहाट अवैध रूप से दखल किए गए भूमि का उच्छेद कर वर्तमान जमाबंदी रैयत प्रथम पक्ष को दखल दिलाना सुनिशचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

6.6.17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

6.6.17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,

D.B. 11-207 6/6/2017
6/6/2017